

समाज कल्याण और सुरक्षा

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जन कल्याण के लिए आदर्श शासन के मानदंड निर्धारित करते हैं और इन मानदंडों को राज्य द्वारा कानून बनाने के लिए लागू किए जाने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 41 यह निर्दिष्ट करता है कि “राज्य आर्थिक क्षमता और विकास सीमाओं के भीतर काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अभाव की अन्य स्थिति में सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के प्रभावी प्रावधान करेगा”। वास्तविक लक्ष्य समाज कल्याण और नागरिकों की जीवन यापन स्थिति में सुधार करना है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट समाज कल्याण की भावना के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित समूहों और दिव्यांगता ग्रस्त लोगों के कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों पर अपने विभागों के माध्यम से अमल सुनिश्चित कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और मदद की जा सके। इस संबंध में, निम्नलिखित विभाग समाज कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - (i) महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों से संबंधित विषयों को देखता है।
 - (ii) समाज कल्याण विभाग दिव्यांग लोगों, वृद्ध और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए योजनाएं/कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा यह विभाग दिव्यांगों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है और विभाग के कल्याणकारी उपायों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत किया है।
 - (iii) अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग निवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

3. महिला और बाल विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

3.1 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम (पहले समेकित बाल विकास कार्यक्रम) :

यह आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसे 2 अक्टूबर, 1975 को लागू किया गया था। मौजूदा समय में यह योजना बच्चों की शुरुआती देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक विशिष्ट कार्यक्रमों में एक है। यह कार्यक्रम बच्चों और देखभाल करने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है। आईसीडीएस एक तरफ विद्यालय-पूर्व शिक्षा की चुनौती का समाधान करने और दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायता करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को भारत सरकार की मदद से दिल्ली में कार्यान्वित कर रही है। आईसीडीएस कार्यक्रम 6 सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सम्प्रेषण सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूरक पोषण घटक के लिए 50:50 और पोषण घटक के अलावा अन्य घटकों के लिए 60:40 के अनुपात में लागत साझा की जाती है। इसके लाभार्थियों में 0-6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं शामिल हैं।

3.2 दिल्ली में समेकित बाल विकास स्कीम के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न भागों में 95 परियोजनाएं 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों से संबंधित 12.70 लाख और 2023-24 के दौरान (अक्टूबर, 2023 तक) 11.59 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, 2022-23 में 5.80 लाख बच्चों और महिलाओं तथा 2023-24 के दौरान (सितंबर, 2023 तक) 6.94 लाख बच्चों और महिलाओं को 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पूरक पोषक (आईसीडीएस के अंतर्गत) आहार दिया गया। वर्तमान में एक बच्चे के पूरक पौष्टिक आहार पर रोजाना 8 रुपये, प्रति महिला 9.50 रुपये और कुपोषण के शिकार प्रति बच्चे के पोषाहार पर 12 रुपये प्रतिदिन लागत आती है और ये (अक्टूबर 2018 से) साल में 300 दिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.3 दिल्ली सरकार ने मार्च, 2022 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा कर 12720/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय बढ़ा कर 6810 रुपये प्रति माह कर दिया है।

3.4 लाडली योजना

दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2008 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी पात्रता-शर्त यह है कि बच्ची का जन्म दिल्ली में हुआ हो, उसके माता-पिता आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हों और उनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी एक लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

- योजना के अंतर्गत पहली जनवरी 2008 को या इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में पैदा हुई बालिका के नाम बैंक में 11,000 रुपये जमा करा दिये जाते हैं। अगर बालिका अस्पताल या नर्सिंग होम के अलावा घर/किसी अन्य स्थान पर पैदा हुई हो तो खाते में 10000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
- पहली, छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश, दसवीं कक्षा पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश के समय भी खाते में 5-5 हजार रुपये जमा कराये जाते हैं।
- कुल योगदान/जमा राशि का प्रावधान अस्पताल में जन्म के मामले में रु. 36,000/- और अस्पताल से बाहर जन्म होने की स्थिति में रु. 35,000/- होगा, बशर्ते बालिका ने सभी निर्धारित कक्षाओं में दाखिला लिया हो।

- जब बालिका 18 साल की हो जाती है और नियमित छात्रा के रूप में दसवीं कक्षा पास कर लेती है या बारहवीं कक्षा तक नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करती है तो परिपक्वता राशि ली जा सकती है।
- सितंबर 2023 तक इस योजना के अंतर्गत 12.72 लाख बालिकाओं का पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनमें से 3,56,033 बालिकाएं अंतिम परिपक्वता राशि के रूप में कुल रु. 665.39 करोड़ (2009-10 से 2023-24) प्राप्त कर चुकी हैं।
- 2021-22 के दौरान 62,749 पंजीकरण, 76,798 नवीकरण किए गए और 25,085 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2022-23 के दौरान 64,408 पंजीकरण, 1,05,288 नवीकरण किए गए और 16,294 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2023-24 के दौरान 19,986 पंजीकरण, 7,260 नवीकरण किए गए और 16,294 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।

लाडली योजना के अंतर्गत 2008-09 से वर्षवार वित्तीय अंशदान प्रावधान अर्थात् बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.1
अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान

क्र.सं	वर्ष	बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	2008-09	86.38	86.44
2.	2009-10	87.00	86.97
3.	2010-11	110.00	89.26
4.	2011-12	93.00	92.90
5.	2012-13	105.50	103.00
6.	2013-14	113.00	112.29
7.	2014-15	96.00	95.64
8.	2015-16	103.27	101.92
9.	2016-17	106.00	96.67
10.	2017-18	101.87	100.65
11.	2018-19	100.00	97.54
12.	2019-20	100.00	85.30
13.	2020-21	100.00	89.10
14.	2021-22	90.00	89.95
15.	2022-23	100.00	99.69
16.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	100.00	42.95
कुल		1592.02	1470.27

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

- लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

विवरण 17.2

पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकरणों की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)	नवीकरणों की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	2008-09	125337	74.17	--	--
2.	2009-10	139823	83.57	--	--
3.	2010-11	105737	64.85	15367	7.68
4.	2011-12	106585	63.57	54216	27.11
5.	2012-13	96800	59.71	63805	31.90
6.	2013-14	89246	54.96	97620	48.84
7.	2014-15	82669	51.71	102466	52.83
8.	2015-16	74846	45.99	99366	55.30
9.	2016-17	68193	40.98	97284	55.97
10.	2017-18	67070	40.15	102489	59.98
11.	2018-19	60803	35.88	103703	60.95
12.	2019-20	46660	27.69	94338	56.49
13.	2020-21	61546	34.98	87000	52.11
14.	2021-22	62749	36.12	76798	48.39
15.	2022-23	64408	37.03	105288	66.96
16.	2023-24 (सितंबर 2023 तक)	19986	12.92	7260	44.11
	कुल	1272458	764.58	1107000	668.62

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

- लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

विवरण 17.3

पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	परिपक्वता भुगतान की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	2009-10	1640	0.87
2.	2010-11	19135	10.66
3.	2011-12	11212	6.67
4.	2012-13	11247	9.71
5.	2013-14	20980	26.8
6.	2014-15	20091	30.17
7.	2015-16	47766	63.84
8.	2016-17	37748	67.60
9.	2017-18	34717	70.45
10.	2018-19	25411	53.41
11.	2019-20	29097	63.75
12.	2020-21	20861	50.22
13.	2021-22	25085	70.03
14.	2022-23	34749	83.42
15.	2023-24 (सितंबर 2023 तक)	16294	43.29
	कुल	356033	665.39

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 बाल अधिकार आयोग

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 वर्ष 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उनसे जुड़े अन्य मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य आयोग और बाल अदालतें गठित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार सितंबर, 2008 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित/सुविधावंचित बच्चों, दिव्यांग बच्चों, मुसीबत में फंसे बच्चों से संबंधित मुद्दों तथा बाल मनोविज्ञान और बच्चों से संबंधित कानूनी मुद्दे देखता है। विभाग ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है ताकि उनमें बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की जा सके।

3.6 बाल कल्याण समितियां

किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटाने और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा करने तथा उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और तत्संबंधी नियमों, के अनुसार होगा। इसके अनुपालन में दिल्ली में 10 बाल कल्याण समितियों की स्थापना की गई।

मिशन वात्सल्य हर जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना में सहायता करने और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बाल कल्याण समिति समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निष्पादन करेगी। योजनान्तर्गत समिति के अध्यक्ष एवं चार सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता अथवा मानदेय प्रदान किया जायेगा।

3.7 किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है, जो कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। जेजेबी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार होगा। इसके अनुसार में दिल्ली में 6 जेजेबी की स्थापना की गई है।

मिशन वात्सल्य हर जिले में जेजेबी की स्थापना में सहायता और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। किशोर न्याय बोर्ड समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निष्पादन करेगा। जेजेबी अपनी बैठकें संप्रेक्षण गृह के परिसर में आयोजित करेगा। योजनान्तर्गत बोर्ड के दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता अथवा मानदेय प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जेजेबी में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए एक

सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिले में सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की सांकेतिक योग्यता किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में वर्णित की गई है। जेजेबी की बैठकें संप्रेक्षण गृह परिसर में आयोजित की जाएंगी।

पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) अधिनियम के तहत विशेष अदालतें

विभाग ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालतों को, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 की धारा 25 के तहत बाल अधिकारों के उल्लंघन और बाल यौन अपराध की घटनाओं की सुनवाई के लिए बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है।

जेजेबी के लिए बुनियादी ढांचा: संप्रेक्षण गृहों में जेजेबी के लिए दो कमरों की व्यवस्था होगी और प्रत्येक कमरे का आकार 300 वर्ग फुट होगा। यदि किसी मौजूदा संप्रेक्षण गृह परिसर के भीतर अपेक्षित स्थान उपलब्ध है, तो वह बोर्ड को प्रदान किया जाएगा। परन्तु, जिन जिलों में कोई संप्रेक्षण गृह नहीं है या मौजूदा संप्रेक्षण गृह में जेजेबी के लिए जगह नहीं है, तो मिशन के तहत वहां जेजेबी के लिए उपयुक्त परिसर बनाने या किराए पर लेने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। बोर्ड एक कमरे में अपनी बैठक करेगा जबकि दूसरे कमरे का उपयोग बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षालय के रूप में किया जाना चाहिए। बोर्ड परिसर में सद्भावपूर्ण माहौल होना चाहिए। जिस समिति कक्ष में बोर्ड की बैठकें होती हैं, वहां बच्चों के अनुकूल माहौल होगा। आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतीक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाओं के साथ-साथ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। संप्रेक्षण गृह जहां जेजेबी अपनी कार्यवाही आयोजित करता है, बैठक के दिन जेजेबी को परामर्शदाता और चपरासी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डीसीपीयू जहां आवश्यक होगा कानूनी और परामर्श सहायता भी प्रदान करेगा।

3.8 बाल देखभाल संस्थान (सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) :

महिला और बाल विकास विभाग ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानूनी प्रक्रिया में फंसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 25 बाल संस्थान गठित किए हैं। इन संस्थानों में निम्नांकित शामिल हैं :

- बालकों के लिए 02 सम्प्रेक्षण गृह
- बालिकाओं के लिए 01 सम्प्रेक्षण गृह
- बालकों के लिए 01 संरक्षण गृह
- बालिकाओं के लिए 01 संरक्षण गृह
- बालकों के लिए 01 विशेष गृह
- 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
- बालकों और बालिकाओं के लिए 16 बाल गृह
- बालकों और लड़कियों के लिए 2 आपटर केयर होम।

उपरोक्त के अलावा, वर्तमान में 70 गैर-सरकारी संगठन भी दिल्ली में बाल देखभाल संस्थान संचालित कर रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत इन संस्थानों में बालक और बालिकाओं के लिए बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां, ओपन शेल्टर और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र शामिल हैं।

3.9 मिशन वात्सल्य (केंद्र प्रायोजित योजना)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करते हुए, कानून, नीति और योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से बाल कल्याण की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बाल नीति, (2013 में संशोधित), और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 ने बाल कल्याण और संरक्षण के लिए नीतिगत रूपरेखा निर्धारित की। भारतीय संसद ने बच्चों के पक्ष में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जैसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए हैं। भारत ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जैसे कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, जिनका लक्ष्य देश में किशोर न्याय प्रणाली का व्यवस्थित विकास और उसकी मजबूती सुनिश्चित करना है।

मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को कार्यरूप देने का रोडमैप है। 'कोई बच्चा पीछे न छोटे' के आदर्श वाक्य के साथ, यह किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ बाल अधिकारों के प्रति समर्थन और जागरूकता पर बल देता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, मिशन के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। 2009-10 से पहले, मंत्रालय के तहत तीन योजनाएं लागू की जा रही थीं, अर्थात् i) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय के कार्यक्रम; ii) बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; और iii) बाल गृह (शिशु गृह) सहायता योजना। सभी तीन योजनाओं को एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल किया गया था। मंत्रालय द्वारा आईसीपीएस को 2009-2010 से लागू किया गया था। 2017 में इस योजना का नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा" योजना कर दिया गया। सीपीएस योजना को अब 2021-22 से मिशन वात्सल्य के तहत शामिल कर लिया गया है।

3.9.1 लक्ष्य: भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए अवसर सुनिश्चित करना और सभी पक्षों में विकसित होने में उनकी सतत सहायता करना। मिशन वात्सल्य, अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थानीकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

3.9.2 मिशन: बच्चों के लिए आयु और विकास के विभिन्न चरणों से गुजरने के दौरान संवेदनशील, मददगार और अनुकूल इको सिस्टम को बढ़ावा देना। देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और

संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे और वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करके ऐसा करने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की समस्याओं का समाधान वैधानिक और सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था के तहत किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजटों के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां सहयोग समर्थन, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और समुदाय में एक मजबूत बाल अनुकूल व्यवस्था बनाने में वैधानिक और सेवा प्रदान करने की व्यवस्थाओं में सहायक होंगी। मिशन का लक्ष्य है: i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहारा देना और उनका भरण-पोषण करना; ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना; iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करना; iv) समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना।

3.9.3 उद्देश्य :

मिशन वात्सल्य के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (i) मिशन के तहत संचालित सभी गतिविधियों और कार्यों में बाल हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की योजना में बच्चों को वरीयता देना।
- (ii) परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी या कार्यान्वयन में बच्चे का सर्वोत्तम हित और खुशहाल पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार सुनिश्चित करने के उपाय करना और इस कार्य में परिवारों को सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा की मदद देना।
- (iii) बच्चों के विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार सुनिश्चित करना।
- (iv) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था और आपातकालीन सम्पर्क, परिवार और समुदाय के दायरे में गैर-संस्थागत देखभाल, के साथ-साथ संस्थागत देखभाल परामर्श और सहायता सेवाओं को मजबूत करना।
- (v) सभी स्तरों पर उचित अन्तर-क्षेत्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों को निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों के साथ समन्वय और नेटवर्क मजबूत करना।
- (vi) परिवार और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण के लिए परिवारों और समुदायों को तैयार करना, ताकि वे बच्चों को दुष्प्रभावित करने वाले जोखिमों और कमजोरियों की पहचान कर सकें और उन्हें संकट एवं दुर्व्यवहार से बचाने के लिए निवारक उपाय कर सकें।
- (vii) कानून के दायरे में बच्चों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- (viii) सभी स्तरों पर सहायता और सेवा प्रदाताओं की क्षमता मजबूत करना।

- (ix) जन जागरूकता बढ़ाना, बाल अधिकारों, कमजोरियों और सरकार द्वारा प्रायोजित संरक्षण के उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए सभी स्तरों पर समुदाय को शामिल करना।
- (x) स्पष्ट परिभाषित उपलब्धियों और परिणामों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रगति पर निगरानी रखना, और
- (xi) बच्चों के कल्याण के लिए ध्यान देने योग्य मुद्दों, समुचित गतिविधियों के कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी के उद्देश्य से गांव के स्तर पंचायत और स्थानीय निकायों तथा वार्ड और शहरी क्लस्टर स्तर पर शहरी निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मिशन वात्सल्य को केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच निर्धारित लागत साझा अनुपात के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

3.10 कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण योजनाएं

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम अगस्त, 2014 में अधिसूचित किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चे को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके जीवित माता या पिता अथवा दोनों कारागार में हों। वित्तीय सहायता पहले बच्चे को 3500/- रुपये प्रति माह और दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त 3000/- रुपये (यदि 3 या उससे अधिक बच्चे होंगे तो अधिकतम राशि 6500/- रुपये प्रति माह होगी, जो प्रत्येक बच्चे के कल्याण के लिए प्रयुक्त की जाएगी)। यह सहायता बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा माता पिता के कारगार से छूटने, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए दी जाएगी। परंतु, यदि कोई बच्चा किसी उपयुक्त संस्थान में रह रहा होगा तो ऐसा बच्चा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, खर्च की गई राशि और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्योरा नीचे विवरण 17.4 में दिया गया है।

विवरण 17.4

कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	30.00	22.45	228
2016-17	30.00	22.11	166
2017-18	30.00	22.18	63
2018-19	30.00	16.60	52
2019-20	30.00	18.36	50
2020-21	30.00	15.92	51
2021-22	30.00	18.36	49
2022-23	28.00	15.20	73
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	28.00	17.18	70

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.11 दिल्ली में महिलाओं से संबंधित जनसांख्यिकीय ब्यौरा

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में महिलाओं की आबादी 77.77 लाख थी जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की आबादी कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है। दिल्ली में महिला साक्षरता दर 80.34 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.03 प्रतिशत और कुल साक्षरता दर 86.34 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर 63.46 प्रतिशत है।

3.12 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता :

महिला और बाल विकास विभाग 'विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन' कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में आमदनी का नियमित स्रोत प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से चलायी जा रही है। वर्तमान में यह वित्तीय सहायता 18 वर्ष या अधिक की उन महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी आय एक लाख रुपये से कम हो और जो पिछले पांच वर्ष से दिल्ली की निवासी हों।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे विवरण 17.5 में दिया गया है।

विवरण 17.5

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	267.58	267.58	1,58,603
2016-17	318.00	317.48	1,76,778
2017-18	513.50	513.27	2,05,079
2018-19	654.45	642.16	2,38,049
2019-20	765.50	738.90	2,50,073
2020-21	895.50	821.83	2,81,267
2021-22	998.00	904.61	3,12,272
2022-23	1141.50	1034.09	3,48,965
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1113.50	833.06	3,74,516

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.13 बेसहारा लड़कियों/विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत विधवाओं को अपनी बेटी की शादी करने के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह स्कीम बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए भी लागू होती है। लाभार्थी का दिल्ली का वास्तविक निवासी होना जरूरी है। यह सहायता किसी परिवार की दो लड़कियों की शादी के लिए ही दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सहायता की वर्तमान दर 30,000 रुपये है।

इस योजना के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.6 में दिया गया है।

विवरण 17.6

बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	990.00	983.00	3612
2016-17	990.00	981.90	3273
2017-18	860.00	854.00	2830
2018-19	1200.00	1000.80	3336
2019-20	1300.00	667.80	2239
2020-21	1300.00	763.58	2573
2021-22	900.00	779.10	2597
2022-23	1300.00	890.10	2967
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1100.00	687.48	2303

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.14 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

विभाग ने कामकाजी महिलाओं और युवा लड़कियों के रहने के लिए सुरक्षित और सुलभ जगह प्रदान करने के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए हैं। विभाग ने दिल्ली में (द्वारका, तुगलकाबाद, पीतमपुरा, दिलशाद गार्डन, वसंत गांव, जनकपुरी) में विभिन्न स्थानों पर नए कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करने/निर्माण करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत 2546 महिलाओं की क्षमता के साथ 17 कामकाजी महिला हॉस्टल संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कामकाजी महिला हॉस्टलों में कुल 1460 महिलाएं रह रही थीं।

3.15 महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है। यह कानून 26.10.2006 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के अधिकारों का अधिक प्रभावी संरक्षण करना है जो अपने परिवार के भीतर ही किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा के तहत वास्तविक दुर्व्यवहार या गैर-कानूनी तरीके से दहेज की मांग करके पीड़िता या उसके संबंधियों को परेशान करना शामिल है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के प्रतिनिधित्व के लिए 15 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये हैं। 2021-22 और 2023-24 के दौरान संरक्षा अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए घरेलू हिंसा मामलों की रिपोर्ट (डीआईआर) निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 – 5564

वित्तीय वर्ष 2022-23-7696

वित्तीय वर्ष 2023-24-1740 (सितंबर 2023 तक)

3.16 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स (आश्रय गृह)

महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो गर्भवती या बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, सराय रोहिल्ला और जहांगीरपुरी में दो आश्रय गृह बनाए हैं। इन गृहों में निःशुल्क भोजन और आवास, चिकित्सा सुविधा विशेषकर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। सराय रोहिल्ला आश्रय गृह में 14 और जहांगीरपुरी आश्रय गृह में 10 महिलाओं को रखे जाने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त गृहों में महिलाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 – 59 (35 महिलाएं+24 बच्चे)

वित्तीय वर्ष 2022-23 – 58 (30 महिलाएं+28 बच्चे)

वित्तीय वर्ष 2023-24 – 58 (34 महिलाएं+24 बच्चे) (सितंबर 2023 तक)

3.17 स्वाधार गृह योजना (सीएसएस)

स्वाधार गृह योजना केंद्र प्रायोजित “महिला संरक्षण और सशक्तिकरण योजना” की एक उपयोजना है।

“स्वाधार गृह” योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- संकटग्रस्त और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता प्राप्त महिलाओं के आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार और देखभाल की बुनियादी जरूरतें पूरा करना।
 - उन्हें वह भावात्मक शक्ति पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के कारण बाधित हो गई हैं।
 - उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार/समाज में अपने समायोजन के लिए कदम उठा सकें।
 - आर्थिक और भावात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना।
 - संकटग्रस्त महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने वाली सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना।
 - उन्हें गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाना।
- ये स्वाधार गृह हैं (i) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा संचालित बापनू घर और (ii) महिला दक्षता समिति द्वारा संचालित स्नेहालय। स्वाधार गृह की क्षमता प्रत्येक घर में 30 सदस्यों को रखने की है।

लाभार्थियों में विधवाएं, अपने परिवारों और रिश्तेदारों द्वारा परित्यक्त महिलाएं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी और पारिवारिक सहायता से वंचित महिला, प्राकृतिक आपदाओं से बचने वाली महिलाएं, आतंकी/उग्रवादी हिंसा की शिकार महिलाएं और इसी तरह कठिन परिस्थितियों में रखी गई महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास कोई पारिवारिक समर्थन और आजीविका के लिए कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। यह योजना लाभार्थी महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता एवं देखभाल प्रदान करती है। दिल्ली सरकार के माध्यम से भारत सरकार इन गृहों को शत-प्रतिशत धनराशि प्रदान करती है। उक्त दो स्वाधार गृहों में विगत दो वर्षों के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष 2021-22 – 145 (114 महिलाएं + 31 बच्चे)

वित्त वर्ष 2022-23 – 290 (224 महिलाएं + 66 बच्चे)

3.18 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) : मातृत्व लाभ योजना

भारत सरकार पहली जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित कर रही है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और पारिश्रमिक हानि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.18.1 लक्ष्य :

- योजना का उद्देश्य पारिश्रमिक नुकसान के आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार करना।
- यह योजना दूसरी बालिका के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- समाज के सामाजित और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित वर्गों के निर्धारण की कसौटी इस प्रकार है, इनके लिए अपेक्षित दस्तावेज भी जरूरी हैं :

- i. अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाएं
- ii. आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) या पूरी तरह अक्षम (दिव्यांग) महिलाएं
- iii. बीपीएल राशनकार्ड धारक महिलाएं
- iv. आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी महिलाएं
- v. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- vi. किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
- vii. मनरेगा रोजगार कार्ड धारक महिलाएं
- viii. महिलाएं जिनके परिवार की कुल आय आठ लाख रुपए वार्षिक से कम है
- ix. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं/आंगनवाड़ी सहायिकाएं और आशा बहनें
- x. राशन कार्ड
- xi. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी

3.18.2 लक्षित लाभार्थी

पीएमएमवीवाई योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) और स्तनपान कराने वाली माताओं (एलएम) को पहले दो जीवित बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना है, बशर्ते कि दूसरी संतान बालिका हो। परन्तु, जो लोग इस समय लागू किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा कार्यकर्ता भी योजना की शर्तों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।

3.18.3 लाभ:पात्रता मानदंड

क्र.सं	जन्म का क्रम	पात्रता की शर्तें
1	प्रथम शिशु	- गर्भावस्था के पंजीकरण पर 3000/-रुपये की पहली किस्त दी जाती है। - जन्म के पंजीकरण पर और टीकाकरण का पहला चक्र पूरा होने पर 2000/-रुपये की दूसरी किस्त दी जाती है।
2	दूसरा शिशु	दूसरा शिशु यदि बालिका हो तो 6000/-रुपये की पहली किस्त दी जाती है।

गर्भपात या मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में लाभार्थी को अगली गर्भावस्था के लिए नई लाभार्थी माना जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक/डाक खाने के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि से हस्तांतरित कर दी जाएगी। पात्र लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकती हैं, लेकिन यह समय गर्भावस्था के 730 दिन से पहले का होना चाहिए। एमसीपी कार्ड में पंजीकृत एलएमपी, इस संदर्भ में विचार के लिए गर्भावस्था की तिथि होगी। यदि किसी लाभार्थी महिला को अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वा/तीन बच्चे या चार बच्चे पैदा होते हैं और इनमें से एक या अधिक के बालिका होने की स्थिति में महिला को वंदन योजना 2.0 के नियमों के अनुसार दूसरी बालिका शिशु के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

3.18.4 मौजूदा स्थिति

योजना के आरंभ (जनवरी 2017) से अक्टूबर 2023 तक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 4,43,220 हो गई और इस अवधि में कुल 171.23 करोड़ रुपये की धनराशि (जनवरी 2017 से अक्टूबर 2023) वितरित की जा चुकी थी। 2023-24 में (अक्टूबर 2023 तक) पहला शिशु 26,798 लाभार्थियों ने और दूसरा शिशु 12,495 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया और इस अवधि के दौरान 6.92 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3.19. मिशन पोषण 2.0 (सीएसएस)

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के कुपोषण की चुनौतियों से निपटना है। इसके लिए भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर तथा स्वास्थ्य, आरोग्य और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के अनुकूल उपायों से स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है।

3.19.1 मिशन पोषण 2.0 में एकीकृत बाल बिकास सेवाओं (आईसीडीएस)-आंगनवाड़ी सेवा, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान और राष्ट्रीय क्रेच स्कीम को साथ लाया गया है।

- 3.19.2 पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों, एसएमएम/एमएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आरोग्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि बौनापन और एनीमिया के अलावा कुपोषण और भार में कमी की समस्या दूर की जा सके। यह कार्यक्रम 'पोषण ट्रैकर' द्वारा समर्थित है, जो एक नया, मजबूत आईसीटी केंद्रीकृत प्रणाली डेटा है।
- 3.19.3 पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों की माताओं के पोषण परामर्श के बारे में क्षेत्र कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, सामुदायिक एकजुटता और व्यवहार परिवर्तन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत पोषण प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण 1000 दिन की अवधि के दौरान लाभार्थियों तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए सामुदायिक पोषण और स्वास्थ्य के लिए कार्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- 3.19.4 सभी 10897 कार्यात्मक आंगनवाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत हैं। वर्तमान में लगभग कुल 6.94 लाख लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया है और कुल 97.06% लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया गया है और लगभग 89.5% लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर मोबाइल सत्यापन किया गया है, जिनमें 68,643 गर्भवती माताएं, 56,796 स्तनपान कराने वाली माताएं, 0-6 वर्ष की आयु के 5,69,201 बच्चे शामिल हैं।
- 3.19.5 पोषण अभियान योजना के तहत 2022-23 में 743.22 लाख रुपये और 2023-24 में (सितम्बर, 2023 तक) 221.4 लाख रुपये खर्च किए गए।

3.20 दिल्ली महिला आयोग

दिल्ली महिला आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी, इसका उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा के उल्लंघन के मामलों को देखना है। आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

- **महिला पंचायत**-कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्तर पर पहुंचने के लिए जमीनी स्तर पर महिला पंचायतों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 65 महिला पंचायतों की स्थापना की गई थी जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में (सितंबर, 23 तक) 53 महिला पंचायतों की स्थापना की गई।
- **मोबाइल हेल्पलाइन**: दिल्ली महिला आयोग ने एक मोबाइल हेल्पलाइन शुरू की है जो 11 जिलों में 23 मोबाइल वैन चला रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुल 52,138 मामले सामने आए और तत्संबंधी कार्रवाई में मोबाइल वैन इस्तेमाल की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में (सितंबर, 2023 तक) कुल 30,747 मामले सामने आए और उनमें मोबाइल वैन इस्तेमाल की गई।
- **संकट मोचन केंद्र (सीआईसी)** - यह दुष्कर्म पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक सहायता प्रणाली है। सीआईसी का लक्ष्य और उद्देश्य उन पीड़ितों के लिए समर्थन/सहायता बढ़ाना है जहां दुष्कर्म का आघात उनके मानस पर एक अमिट दुष्प्रभाव बन जाता है। सीआईसी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित होते हैं जो पीड़ित और उसके परिवार को आघात से निपटने के

लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। संकट मोचन केंद्र कार्यक्रम आउटसोर्स आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **दुष्कर्म संकट प्रकोष्ठ :** इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को तत्काल राहत, भावनात्मक सहयोग और परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई पर नजर रखने में सहायता प्रदान करना है ताकि वे हमले से हुए सदमे से उबर सकें। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के समय से लेकर मामले को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने तक यौन दुष्कर्म पीड़िता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुल 13,715 और 2023-24 बलात्कार पीड़िताओं को परामर्श एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और कुल 30602 बलात्कार पीड़ितों को आश्रय/कानूनी सहायता प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में सितंबर 2022 तक कुल 3224 बलात्कार पीड़ितों को परामर्श और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और कुल 7625 बलात्कार पीड़ितों को आश्रय/कानूनी सहायता प्रदान की गई।
- **‘181’ संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन-181** महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। यह फोन, रेफरल, मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए एक टोल फ्री टेलीकॉम सेवा है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश पर दिनांक 11.02.2016 के आदेश द्वारा ‘181’ संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन को कर्मचारियों सहित दिल्ली महिला आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 181 महिला हेल्पलाइन पर 5,09,185 फोन कॉल प्राप्त हुई जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में (सितंबर, 2022 तक) 4,95,345 फोन कॉल निपटाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने फोन कॉल से निपटने और बातचीत के दौरान किए जाने वाले अन्य उपायों के संबंध में महिला हेल्पलाइन के टेली-कॉलर के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

3.22 वन स्टॉप सेंटर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में सखी-वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम तैयार किया है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। डीएम/डीसी कार्यालय के निगरानी क्षेत्राधिकार के तहत निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए ये केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे।

प्रत्येक जिले में सखी-वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं/हिंसा से दुष्प्रभावित महिलाओं को पांच आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सखी वन स्टॉप सेंटर के तहत महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं-

- (i) मनो-सामाजिक परामर्श,
- (ii) कानूनी सहायता,

- (iii) पुलिस सुविधा,
- (iv) चिकित्सा देखभाल और
- (v) एक छत के नीचे पांच बिस्तरों वाला अस्थायी आश्रय।

रा.रा.क्षे. दिल्ली में, प्रत्येक जिले में एक और कुल 11 सखी-वन स्टॉप सेंटर, स्थापित किए गए हैं। सभी सखी केंद्रों को नवंबर और दिसंबर, 2019 के महीने में चालू कर दिया गया था। धन सीधे जिलाधीश/जिला आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित एक अलग बैंक खाते में प्रदान किया जाता है। सभी 11 सखी वन स्टॉप सेंटर की अद्यतन सूची नीचे दी गई है:-

रा.रा.क्षे. दिल्ली में सखी-ओएससी केंद्रों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	सखी – वन स्टॉप सेंटर का पता और ईमेल पता
1	शाहदरा	सखी – वन स्टॉप सेंटर, आईएचबीएस अस्पताल परिसर, शाहदरा, दिल्ली –110095
2	पूर्व	सखी – वन स्टॉप सेंटर, लालबहादुर शास्त्री अस्पताल, गेट नंबर 3, खिचड़ीपुर, दिल्ली –110091
3	दक्षिण पूर्व	सखी – वन स्टॉप सेंटर, डीएम का कार्यालय दक्षिण पूर्व दिल्ली लाजपत नगर IV, पुराना गार्गी कॉलेज भवन, एलएसआर के पीछे, दिल्ली-110024
4	दक्षिण	सखी – वन स्टॉप सेंटर, पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहली मंजिल, छात्रावास ब्लॉक, मालवीय नगर, दिल्ली –110068
5	दक्षिण पश्चिम	सखी-वन स्टॉप सेंटर, पहली और दूसरी मंजिल, छात्रावास ब्लॉक, दादा देव अस्पताल परिसर, पालम रोड, डाबड़ी मोड़, विजय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045
6	नयी दिल्ली	सखी – वन स्टॉप सेंटर, व्यायामशाला, ग्राम सभा भवन, समालखा गांव, दिल्ली –110037
7	उत्तर	सखी – वन स्टॉप सेंटर, बाबू जग जीवन राम अस्पताल परिसर, जहांगीरपुरी, दिल्ली –110033
8	पश्चिम	सखी – वन स्टॉप सेंटर, अधीक्षक निवास निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरि नगर, दिल्ली-110064
9	केंद्रीय	सखी-वन स्टॉप सेंटर, कमरा नंबर 201-207, दूसरी मंजिल, स्पेशल वार्ड, एलएनजेपी अस्पताल, गेट नंबर 2, बहादुर शाहजफर मार्ग, दिल्ली-110002
10	उत्तर पश्चिम	सखी – वन स्टॉप सेंटर, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी, सेक्टर-06, दिल्ली-110085
11	उत्तर-पूर्वी	सखी वन स्टॉप सेंटर, दूसरी मंजिल, जगप्रवेश चंद्र अस्पताल, शास्त्री पार्क, दिल्ली –53

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 4,387 लाभार्थियों और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (सितंबर 2023 तक) 3,516 लाभार्थियों को 11 सखी वन स्टॉप सेंटरों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

3.23 सूर्योदय

नशाबंदी का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस नीति के मुख्य प्रणेता थे। नशा करने वाले व्यक्ति का शारीरिक,

मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक पतन होता है और इस हानि का कोई विकल्प नहीं है। हाल के दिनों में शराब ने सभी बाधाओं को पार कर लिया है और यह समाज के सभी वर्गों यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और संभ्रांत वर्गों, विशेषकर युवाओं के घरों तक पहुंच गई है। समाज में शराब पीने के हानिकारक प्रभाव होते हैं और यह परिवार और रूपी संस्थान को बाधित करके संपूर्ण सामाजिक संरचना को कमजोर करता है और विकास प्रक्रिया की प्राथमिकताओं को भी विकृत करता है।

शराबबंदी का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, निषेध निदेशालय ऐसे उपाय अपनाता है जो लोगों को शराब के दुष्प्रभावों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के बारे में प्रचार के विभिन्न तरीकों जैसे कि झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से जागरूक करने में सहायक होते हैं। मेलों/उत्सवों, नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, लघु फिल्मों, कियोस्क, होर्डिंग्स, बैकलिट खंभे, बैनर, बस बैक पैनल, बस क्यू शेल्टर, कंप्यूटर एनीमेशन डिस्प्ले सिस्टम के माध्यम से नशा की लत के खिलाफ प्रचार के उपाय किए गए। पुनर्वास समूहों और शराब सेवन की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लोक संपर्क कार्यक्रमों के जरिए भी इस दिशा में प्रयास किए गए।

सूर्योदय योजना:

निषेध निदेशालय ने एक नई योजना 'सूर्योदय' योजना तैयार की है जो सामुदायिक सहयोग पर केंद्रित है, जो नशीली दवाओं की समस्याओं से जुड़े सामुदायिक जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों का आकलन कर सकती है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक गंभीर समस्या है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। हाल ही में, युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली राज्य ने दिल्ली परियोजना-सूर्योदय में मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एकीकृत बहुउद्देश्यीय प्रणाली के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ताकि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, समस्या की पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और केंद्र और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण किया जा सके।

ओडीआईसी और 5 सीपीएलआई केंद्रों की स्थापना:

सूर्योदय योजना के तहत निषेध निदेशालय, दिल्ली के कैचमेंट/नशे की आशंका वाले इलाकों में शराब की मांग में कमी के लिए सूर्योदय योजना के तहत 4 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और 5 समुदाय आधारित पीयर एलईडी इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केन्द्र संचालित कर रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र.सं	संगठन	ओडीआईसी	सीपीएलआई
1.	एक्सप्रेसन चिल्ड्रेन होम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, 38 पॉकेट-1 जसोला विहार, दिल्ली-110025	जिला- दक्षिण पूर्व स्थान : गोविंदपुरी	जिला- दक्षिण (1) स्थान: खानपुर (2) स्थान: नेब सराय
2.	भारतीय परिवर्द्धन संस्था, मकान नं. आर-38 ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110091	जिला- उत्तर पूर्व स्थान: शाहदरा	जिला- उत्तर पूर्व स्थान: शास्त्री पार्क
3.	मानव परोपकारी संस्था, मकान नंबर 736 कापसहेड़ा गांव, दिल्ली 110037	जिला- दक्षिण पश्चिम स्थान: मोहम्मदपुर	जिला- दक्षिण पूर्व स्थान: बदरपुर
4.	मुस्कान फाउंडेशन ए-136, सेक्टर-19 द्वारका, दिल्ली-110075	जिला- नई दिल्ली स्थान: पहाड़गंज	जिला- उत्तर पश्चिम स्थान: बवाना, जे जे कॉलोनी

सुल्तानपुरी वेलनेस/ओएसटी सेंटर:

निदेशालय सुल्तानपुरी में ओएसटी केंद्र चला रहा है जिसमें स्थानीय समुदाय के युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की मदद से बच्चों सहित नशे की लत से पीड़ित लोगों का दवाओं, परामर्श और मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इलाज किया जाता है। सुल्तानपुरी में पहचाने गए लगभग 429 युवाओं को सुल्तानपुरी एकीकृत केंद्र के तहत विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से नामांकित किया गया, जिनमें योग, पुस्तकालय सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशा मुक्ति, परामर्श और अन्य गतिविधियों शामिल थीं, जो उन बच्चों/युवा वयस्कों की भलाई के लिए संचालित की गईं, जिन्हें नशीली दवाओं/अन्य मनोदैहिक पदार्थों की लत पड़ गई थी या ऐसे जोखिम की आशंका थी। सुल्तानपुरी परियोजना को प्रायोगिक रूप में विकसित किया गया था ताकि इस केंद्र से मिली सीख का उपयोग अन्य जिलों में अन्य केंद्रों को विकसित करने के लिए किया जा सके।

लघु फिल्म/वृत्तचित्र/पोस्टर पैम्फलेट के माध्यम से जागरूकता सृजन:

सहेली समन्वय केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच का उपयोग करते हुए शिक्षाप्रद प्रचार सामग्री का वितरण करके महिलाओं, युवा बच्चों के बीच जागरूकता लाने पर जोर दिया गया है और लघु फिल्मों भी विकसित की गईं तथा विभिन्न हॉटस्पॉट पर प्रदर्शित की गईं ताकि निवारक उपायों को मजबूत किया जा सके।

3.23 सहेली समन्वय केन्द्र (एसएसके):

सहेली संवाद – इन केंद्रों के पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता “अपनों की बात अपनों के साथ” के आदर्श वाक्य के साथ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचते हैं! “स्वास्थ्य और पोषण, बाल विकास, बाल यौन शोषण, टीकाकरण आदि ऐसे मुद्दों पर संवाद किया जाता है, जो महिलाओं, किशोरों और बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका लक्ष्य मानदंडों और प्रथाओं पर चर्चा के माध्यम से

जागरूकता फैलाना है। महिलाओं/किशोर लड़कियों से संबंधित मुद्दों पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाता है;

- i) सॉफ्ट स्किल/कौशल विकास, आजीविका प्रशिक्षण आदि पर सत्र।
- ii) डिजिटल साक्षरता
- iii) स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा पोषण, जल, स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता।
- iv) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सरकार के कार्यक्रमों पर परिचर्चा।
- v) महिलाओं/लड़कियों के प्रति हिंसा, भेदभाव, लैंगिक रुढ़िवादिता, शिशु अनुपात में गिरावट, सुरक्षा और अन्य संबंधित विधान और कानूनी मुद्दों के प्रति लैंगिक जागरूकता।
- vi) महिलाओं में नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- vii) महिलाओं और बच्चों तथा किशोर अपराध से संबंधित कानूनी मुद्दे।
- viii) महिला प्रकोष्ठ।
- ix) योग के लाभों के बारे में जागरूकता।
- x) आर्थिक मार्गदर्शन के लिए बैंकर और डाकघर कर्मचारी।
- xi) आजीविका कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों के विशेषज्ञ।
- xii) मासिक धर्म स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, पोषण और मनो-सामाजिक स्वास्थ्य पर जागरूकता।

क्र. स	वित्तीय वर्ष	संवाद की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23	30990	374818
2.	वित्तीय वर्ष 2023-24 (अगस्त, 2023 तक)	12910	188930
	कुल (अगस्त 2023 तक)	43900	563748

3.24 एसएसके- आंगनवाड़ी छाया केंद्र

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें कार्यबल में शामिल होने में मदद पहुंचाने के लिए, डे केयर एवं क्रेच सेवाएं या तो एसएसके के माध्यम से या ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे नजदीकी क्रेच में नामांकित करके प्रदान की जाती हैं। इससे न केवल महिलाओं को काम के लिए बाहर जाने में सहायता मिलती है बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि उनके बच्चे ऐसे वातावरण में रहें, जो सुरक्षित और स्वच्छ हो और उनकी अच्छी देखभाल की जाए, भलिभांति भोजन प्रदान किया जाए और उन्हें रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखा जाए।

कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच/डेकेयर सुविधाओं की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। विभाग द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा क्रेचों का 100: निरीक्षण किया गया और ऐसे शिशु केंद्रों को सहेली समन्वय केंद्रों के साथ जोड़ कर स्थानांतरित किया गया, जिनका इस्तेमाल कम हो पा रहा था। इसका लक्ष्य शिशु केंद्रों को उजागर करना और उनके इस्तेमाल में सुधार लाना था।

महिलाओं और लड़कियों के लिए समन्वय एवं सुविधा केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए विभाग द्वारा पूरी दिल्ली में सहेली समन्वय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, दिल्ली में 500 एसएसके कार्यरत हैं। एसएसके के भीतर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केंद्र के रूप में कार्य

करने के लिए आंगनवाड़ी छाया केंद्रों की परिकल्पना एसएसके के चार स्तंभों में से एक के रूप में की गई थी।

47 सहेली समन्वय केंद्रों में आंगनवाड़ी छाया केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि समुदाय में 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के कमजोर बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सकारात्मक समाजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

3.25 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (बीबीबीपी)

बीबीबीपी योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। अब, लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। खेल के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, लड़कियों के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया या केंद्र/राज्य सरकारों की किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत उपयुक्त अधिकारियों के साथ जोड़ने के लिए उचित कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। बीबीबीपी का घटक बहु-क्षेत्रीय उपायों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करेगा, जबकि वर्तमान में यह 405 जिलों में चालू है। घटक का लक्ष्य शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना होगा, जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता आदि।

प्राथमिक	• युवा और नवविवाहित दम्पति तथा संभावित माता पिता • किशोर (बालक और बालिकाएं) और युवा • परिवार और समुदाय
द्वितीयक	• स्कूल और आंगनवाड़ी • मेडिकल डॉक्टर/चिकित्सक, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि • अधिकारी, पंचायती राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता • महिला संगठन और स्वयं सहायता समूह, सिविल सोसायटी संगठन, मीडिया, उद्योग, धर्म गुरु आदि

बीबीबीपी योजना का उद्देश्य निम्नांकित लक्ष्य हासिल करना है:

- जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में हर साल 2 अंक का सुधार,
- अस्पताल में प्रसव के प्रतिशत में सुधार या 95% या उससे अधिक की दर पर कायम रहना,
- पहली तिमाही एएनसी पंजीकरण में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि, और

- iv. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दाखिलों और लड़कियों/महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण में प्रवेश में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि।
- v. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना।
- vi. सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों द्वारा बीबीबीपी योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ:

- लैंगिक समानता पर केंद्रित सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- बच्चियों के लिए "अन्नप्राशन" समारोह।
- खेलकूद गतिविधियाँ।
- "हम किसी से कम नहीं" थीम पर निबंध, भाषण, वाद-विवाद, पोस्टर मेकिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता।

4. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम :

- 4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 2006 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इस नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें वृद्धावस्था की समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नागरिक समाज के सहयोग से सरकारी विभागों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के उपाय भी किए जाते हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। दिल्ली सरकार के पास लोगों को वृद्धावस्था के लिए तैयार करने के वास्ते एक सार्वजनिक शिक्षा तंत्र भी होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शान से जीवन जीने में सक्षम हों और अपने बाद के वर्षों में वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन)

- 4.2.1 यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही है। योजना के तहत आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन किये जाते हैं। इस योजना के तहत, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के आधार नंबर या खाता संख्या के अनुसार बैंक में लाभार्थियों के बचत खातों में मासिक आधार पर वित्तीय सहायता भेजी जाती है। दिल्ली के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार (आवेदक और पति या पत्नी) की आय रुपये 1,00,000/- प्रति वर्ष से कम है, इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। इसके लिए उनके पास पांच वर्ष से दिल्ली के निवासी होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदक के पास अधिसूचना में वर्णित वैध पहचान प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता की मात्रा रुपये 2500/- प्रति माह है। 60-69 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह रुपये 2000/- प्रति माह है। अजा/अजजा/अल्पसंख्यक वर्ग (60-69 वर्ष के बीच

की आयु) के लाभार्थियों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य पेंशन के अलावा रुपये 500/- प्रति माह की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यह दर फरवरी 2017 से प्रभावी है (पहले यह 1500/- और 1000/- प्रति माह थी)।

- 4.2.2 2012-13 से 2023-24 के दौरान दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक को पेंशन योजना के तहत निधि के आवंटन, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.7 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 17.7

वरिष्ठ नागरिक को पेंशन योजना का प्रदर्शन

क्र सं	वर्ष	परिव्यय (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2012-13	563.20	558.34	386068
2.	2013-14	541.00	537.88	375668
3.	2014-15	558.00	532.24	331881
4.	2015-16	608.79	607.79	388471
5.	2016-17	682.00	638.48	381849
6.	2017-18	1065.00	984.72	437896
7.	2018-19	1299.00	1255.90	441999
8.	2019-20	1344.00	1342.63	463945
9.	2020-21	1324.00	1137.34	424920
10.	2021-22	1578.50	1406.45	452458
11.	2022-23	1650.00	1211.10	406830
12.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1644.50	830.64	405397

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

4.3 ओल्ड एज होम्स (वृद्धाश्रम)

- 4.3.1 'ओल्ड एज होम्स बनाने' की योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जहां वे सद्भावपूर्ण वातावरण में गरिमापूर्वक रह सकें। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग 04 वृद्धावस्था आश्रम संचालित कर रहा है—बिंदापुर, वजीरपुर, कांति नगर और ताहिरपुर।

4.3.2 वृद्धावस्था आश्रम में निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

- सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में निःशुल्क रहने/भोजन की व्यवस्था।
- चिकित्सा देखभाल और परामर्श तथा
- मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास कार्यक्रम

4.3.3 वृद्धावस्था आश्रम इन लोगों के लिए हैं :

- वरिष्ठ नागरिक अर्थात् 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सहायता देने वाला या देखभाल करने वाला कोई न हो।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रामक/संचारी रोग से पीड़ित न हों। और
- रा.रा.क्षे. दिल्ली के निवासी।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं

- 4.4.1 दिल्ली सरकार दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है, जिसके लिए मनोरंजन केंद्रों की एक योजना चलाई जा रही है। यह दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ व्यक्ति के लिए मनोरंजन केंद्र विश्राम की सुविधाएं प्रदान करता है, फुरसत के क्षणों में सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवारों के साथ मेल-जोल करने में मदद करता है।
- 4.4.2 कुल 150 मनोरंजन केंद्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं।

4.5 भरणपोषण न्यायाधिकरण

- 4.5.1 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण दिल्ली नियम, 2010 के तहत दिल्ली में 11 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं।
- 4.5.2 इन न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण और संपत्ति के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग, इन न्यायाधिकरणों के गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें बैठक भत्ता प्रदान करता है।

4.5.3 अपीलीय प्राधिकरण

- दिल्ली सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में सभी 11 जिलों में अपीलीय न्यायाधिकरण अधिसूचित एवं गठित किए हैं। प्रत्येक जिले में अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख पीठासीन अधिकारी के रूप में डीएम होता है और उनके साथ दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।
- भरण पोषण एवं अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा सम्बद्ध एडीएम/डीएम के पास उपलब्ध है।
- दिल्ली के सभी 11 जिलों में 2014-15 और 2019-20 की अवधि में भरण पोषण न्यायाधिकरणों में दाखिल किए गए और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या की जानकारी नीचे विवरण 17.8 में दी गई है।

विवरण 17.8

भरण पोषण ट्राइब्यूनल में दाखिल मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या

वर्ष	दर्ज मामले	निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले
2014-15	361	321	40
2015-16	433	363	70
2016-17	233	191	42
2017-18	623	152	471
2018-19	724	407	317
2019-20	397	245	152

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

5. दिव्यांग-जनों का कल्याण

- 5.1 भारत का संविधान दिव्यांग-जनों सहित सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है। समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिव्यांग-जनों के कल्याण के लिए एक नोडल विभाग है। विभाग 'दिव्यांगजन को स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम बनाने के लिए मदद' करने के तथ्य में विश्वास रखता है।
- 5.2 दिल्ली सरकार अपनी विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगजनों को पूरी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे भागीदारीपूर्ण जीवन जी सकें और हर प्रकार से समान रूप से समाज में शामिल हो सकें। 1995 के पूर्व अधिनियम के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आने के साथ दिव्यांगजन कल्याण के दायरे में 21 नए प्रकार की विकलांगता शामिल की गई है। 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की विकलांगता शामिल थी।
- 5.3 दिव्यांगजन के कल्याण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग गृह संचालित कर रहा है :-
- बौद्धिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए 6 गृह।
 - कालेज जाने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास।
 - एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र।
 - दिव्यांगों के लिए एक आश्रय कार्यशाला।
- 5.4 "राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम" (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत दो तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है जैसे सामान्य विकलांगता शिविर और विशेष विकलांगता शिविर। ये शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में लगाए जाते हैं। सामान्य विकलांगता शिविर प्रत्येक जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाणपत्र, डीटीसी पास, उपायुक्त कार्यालय द्वारा पहचानपत्र, एकीकृत स्कूल रेलवे रियायत पास के लिए पंजीकरण आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजन को निःशुल्क सहायता एवं उपकरण प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- 5.5 दिल्ली में दिव्यांगजनों के कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2014-15 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय, आयोजित शिविरों और लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.9 में दी गई है :

विवरण 17.9
राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (लाख रुपये)	संख्या	
			शिविर	लाभार्थी
1	2014-15	6.83	08	3242
2	2015-16	9.37	14	5000
3	2016-17	3.49	11	6000
4	2017-18	0.21	-	-
5	2018-19	0.00	-	-
6	2019-20	3.00	05	2600
7	2020-21	-	-	-
8	2021-22	4.74	07	4000
9	2022-23	--	--	--
10	2023-24 (नवंबर 2023 तक)	6.51	30	

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार)

- 5.6 कोविड के प्रकोप के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में कोई सामान्य विकलांगता शिविर आयोजित नहीं किया गया। इसलिए इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। प्रशासनिक कारणों से वित्त वर्ष 2022-23 में सामान्य विकलांगता शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका।
- 5.7 समाज कल्याण मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहयोग योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को आजीवन (जन्म से मृत्यु तक) 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इनके पास आवेदन देने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक दिल्ली में रहने का आवास प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आवेदकों के परिवार की आय 100,000 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दर फरवरी 2017 से लागू है (पहले यह 1500 रुपये प्रति माह थी)।
- 5.8 विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2010-11 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों के बारे में जानकारी 17.10 में दी गई है :

विवरण 17.10

दिल्ली में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	26.50	17.86	25691
2	2011-12	28.50	27.52	26622
3	2012-13	58.00	57.41	36809
4	2013-14	78.00	75.82	45471
5	2014-15	92.00	78.68	41043
6	2015-16	108.71	108.42	60657
7	2016-17	137.00	135.52	71581
8	2017-18	200.00	196.03	76263
9	2018-19	265.00	262.26	87196
10	2019-20	291.35	290.02	95324
11	2020-21	317.35	279.17	101750
12	2021-22	405	370.00	111790
13	2022-23	397.00	347.22	113039
14	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	448.03	266.46	123071

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

- 5.9 दिल्ली सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के सुविधाजनक पुनर्वास के लिए 5 हॉफ-वे/लॉग-वे स्टे-होम्स बनाए हैं, जिनके मानसिक रोग पर अस्पताल में उपचार के बाद नियंत्रण पा लिया गया हो। ये स्टे होम्स द्वारका (01 इकाई), रोहिणी सेक्टर-3 (02 इकाई), रोहिणी सेक्टर 22 (01 इकाई) और नरेला (01 इकाई) में हैं।
- 5.10 इन स्टे होम्स में से 4 हॉफ-वे होम्स कार्यरत/स्थापित हैं (इनमें से पहले तीन होम, वर्ष 2017 से और द्वारका में स्थित क्र.सं. 4 का शेष होम नम्बर- दिसम्बर, 2021 से काम कर रहा है)। मौजूदा समय में इन स्टे-होम्स में निम्नलिखित संख्या में लोग रह रहे हैं।

क्र.सं.	नाम और पता	अनुमोदित संख्या	वर्तमान संख्या (सदस्य)
1.	'नव किरण'-1 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	39
2.	'नव किरण'-2 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	37
3.	'नव चेतना' -(पुरुषों के लिए) रोहिणी सेक्टर 22 में	-	-
4.	नव रचना (महिलाओं के लिए) द्वारका सेक्टर-3	50	19

रोहिणी सेक्टर - 22 में 'नव चेतना' (पुरुषों के लिए) का वर्तमान में नवीनीकरण किया जा रहा है और इन हाफवे होम्स के निवासियों को द्वारका सेक्टर -3 में नव रचना (पुरुष) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

6. परिवार लाभ योजना

- 6.1 गरीब परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। उस परिवार को 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ऐसा करते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि मौत किस कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना आदि) से हुई है। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् मृत्यु के समय कमाने वाले की परिभाषा परिवार के उस सदस्य के रूप में की गई है, जिसकी आमदनी का अनुपात परिवार की आय में सबसे अधिक हो।
- 6.2 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2011-12 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.11 में दिया गया है।

विवरण 17.11

राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	2.15	2.08	2077
2	2011-12	2.58	2.53	2534
3	2012-13	2.70	2.69	2694
4	2013-14	3.10	2.83	2827
5	2014-15	3.60	3.37	3372
6	2015-16	5.50	5.39	5396
7	2016-17	7.00	7.00	7000
8	2017-18	12.62	9.01	4510
9	2018-19	14.00	11.61	5840
10	2019-20	24.70	21.30	10729
11	2020-21	29.70	27.23	13676
12	2021-22	34.67	33.43	15623
13	2022-23	34.67	29.25	14706
14	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	35.67	19.33	10618

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

7. कुष्ठ रोगियों का कल्याण

कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों के लिए कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गयी। सितंबर 2018 से समाज कल्याण विभाग कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र के लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है (पहले यह राशि 1800 रुपये प्रति माह थी)। अधिकतर लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न इलाकों, जैसे ताहिरपुर (यमुनापार), आर.के. पुरम, श्रीनिवासपुरी और पटेल नगर आदि इलाकों में रहते हैं। कुष्ठ पीड़ितों की सबसे बड़ी कालोनी ताहिरपुर में है जहां इन लोगों के लिए आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र भी है।

विभाग, इन केन्द्रों में उत्पादन गतिविधियों के लिए सुविधा भी प्रदान करता है ताकि कुष्ठ रोगी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर सकें। इन केन्द्रों में विभाग की ओर से हथकरघा बुनाई, जूते और चॉक बनाने और मोमबत्ती बनाने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अभी लगभग 372 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से भत्ता मिल रहा है।

7.1 मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण परिवार के लिए आजीविका कमाने वाले सदस्य की मौत पर परिवार को 2500/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई।

योजना के तहत पात्रता की शर्तें और पेंशन की राशि नीचे दी गई है।

परिस्थिति (परिवार के कामकाजी सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु)	पात्र आश्रित	राशि
पति	पत्नी	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
पत्नी	पति	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
एकल माता-पिता (अन्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो (कोविड के कारण या अन्यथा)/ विलग/ तलाकशुदा	25 वर्ष से कम आयु की सभी संतान	रुपये 2500/- प्रति माह मृतक की प्रत्येक संतान को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो	25 वर्ष से कम आयु की प्रत्येक संतान यदि कोई संतान न हो तो पिता या माता	रुपये 2500/- प्रति माह मृतक की प्रत्येक संतान को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन (माता या पिता के मामले में केवल एक को सहायता मिलेगी)
अविवाहित कामकाजी पुत्र/पुत्री	पिता या माता	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
भाई/बहन	आश्रित भाई/बहन यदि वे शारीरिक या मानसिक दृष्टि से दिव्यांग हों	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन

विवरण 17.12

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

क्र.सं	वर्ष	परिव्यय (करोड. रुपये में)	व्यय (करोड. रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	41	17.24	10425
2.	2022-23	34.00	33.76	11570
3.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	45.00	26.73	11891

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और कौशल प्रशिक्षण एजेंसियों के सहयोग से दिल्ली में बेघर भिखारियों के लिए कौशल विकास। अवधि: मार्च'23 से सितंबर'23 तक

जी-20 शिखर सम्मेलन के आलोक में, जिसके दौरान 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों, जिनमें उनके संबंधित विदेश मंत्री और राष्ट्रपति शामिल थे, को 1-2 मार्च, 2023 को और उसके बाद सितंबर 2023 में दिल्ली में बुलाया गया था। अंतर्विभागीय समिति की स्थापना की गई। माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत काम करने वाली इस समिति को बेसहारा भिखारियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए कार्यनीति तैयार करने की अनिवार्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति के घटकों में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग समेत अन्य शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से डीयूएसआईबी और इसकी आश्रय प्रबंधन एजेंसियों (एसएमए) द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण 21-23 दिसंबर, 2022 तक संलग्न प्रारूप का उपयोग करके निर्दिष्ट स्थानों पर किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप लगभग 1,312 बेघर भिखारियों से संबंधित डेटा एकत्र किया गया, जिसका उद्देश्य उनके स्थानांतरण और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को डीयूएसआईबी संचालित नाइट शेल्टरों में विस्थापित बेघर भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यकों का कल्याण

- 8.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी (167.88 लाख) में अनुसूचित जातियों (अजा) की आबादी 28.12 लाख है, जो दिल्ली की कुल आबादी का 16.75 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। दिल्ली पिछड़ा आयोग ने दिल्ली में 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के रूप में अधिसूचित किया है, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में कोई प्रामाणिक आकलन उपलब्ध नहीं है। पिछली चार जनगणनाओं में दिल्ली की स्थानीय निकायवार अनुसूचित जाति आबादी सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.13 में दी गई है।

विवरण 17.13

अनुसूचित जाति की स्थानीय निकायवार आबादी: 1981-2011

क्र. स.	स्थानीय निकाय	1981	1991	2001	2011
1.	दिल्ली नगर निगम				
	पुरुष	5,89,317	9,40,191	12,24,992	14,53,597
	महिला	4,81,000	7,85,560	10,44,156	12,92,608
	कुल	10,70,317	17,25,751	22,69,148	27,46,205
2.	नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)				
	पुरुष	20,967	30,043	29,919	26,545
	महिला	15,512	23,887	25,294	23,062
	कुल	36,479	53,930	52,213	49,607
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)				
	पुरुष	8,266	8,456	10,271	8,658
	महिला	6,581	6,699	8,623	7,839
	कुल	14,847	15,155	18,894	16,497
4.	कुल योग	11,21,643	17,94,836	23,43,255	28,12,309

स्रोत: दिल्ली सांख्यिकी हैंड बुक

- 8.2 1961-1991 के दौरान दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करीब 53 प्रतिशत रही, जो 1991-2001 की अवधि में घट कर 47 प्रतिशत और 2001-2011 के दशक में और भी घट कर 21.20 प्रतिशत रह गई। 1991-2001 में अनुसूचित जातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961-1991 की दिल्ली की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से ऊपर रही, परंतु 2001 की जनगणना में यह प्रवृत्ति एकदम विपरीत हो गई जब कुल जनसंख्या वृद्धि दर 47 प्रतिशत की तुलना में आबादी में 30.56 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के दौरान इसमें फिर कमी आई और यह 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या वृद्धि दर यानी 21.20 प्रतिशत की तुलना में 20.02 प्रतिशत दर्ज हुई।

दिल्ली में पिछले छह दशकों में अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि की जानकारी विवरण 17.14 में दी गई है।

विवरण 17.14

दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी में दशकीय बढ़ोतरी

क्र. स.	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या में वृद्धि (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि (प्रतिशत)
1.	1961	52.44	63.73
2.	1971	52.93	86.12
3.	1981	53.00	76.44
4.	1991	51.45	60.00
5.	2001	47.02	30.56
6.	2011	21.20	20.02

स्रोत : जनगणना हैंडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.3 दिल्ली में पिछली 7 जनगणनाओं के दौरान अनुसूचित जाति की आबादी का ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण विवरण 17.15 में दिया गया है।

विवरण 17.15
अनुसूचित जाति की शहरी-ग्रामीण आबादी

क्र.स.	जनगणना वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	1951	1,44,619	63,993	2,08,612
2.	1961	2,72,243	69,312	3,41,555
3.	1971	5,30,699	1,04,999	6,35,698
4.	1981	10,17,631	1,04,012	11,21,643
5.	1991	15,87,127	2,07,709	17,94,836
6.	2001	21,54,877	1,88,378	23,43,255
7.	2011	27,30,126	82,183	28,12,309

स्रोत: जनगणना हैडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.4 दिल्ली की आबादी और अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का साक्षरता दर विवरण 17.16 में प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ता गया है और यह 1961 के 20.86 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 70.85 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 78.89 प्रतिशत हो गई। हालांकि 2011 में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर दिल्ली की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत से कम थी। लेकिन यह 63.07 प्रतिशत की साक्षरता की राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची थी।

विवरण 17.16
दिल्ली में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति आबादी की साक्षरता दर

(प्रतिशत)

क्र.स.	वर्ष	कुल आबादी			अनुसूचित जाति की आबादी		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	1961	60.75	42.55	52.75	32.15	6.80	20.86
2.	1971	63.71	47.75	56.61	39.22	14.32	28.15
3.	1981	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30
4.	1991	82.01	66.99	75.29	68.77	43.82	57.60
5.	2001	87.33	74.71	81.67	80.77	59.07	70.85
6.	2011	90.90	80.80	86.20	86.77	70.01	78.89

स्रोत : जनगणना हैडबुक-2011, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

- 8.5 दिल्ली में 2011 में अनुसूचित जाति कार्मिकों की संख्या 9.01 लाख थी, जो कुल कार्मिक आबादी (55.87 लाख) का 16.14 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की 28.12 लाख की आबादी में से 32.06 प्रतिशत अजा आबादी नियोजित है जबकि दिल्ली की कुल आबादी 31.60 प्रतिशत नियोजित है।

9. रा. रा. क्षे. दिल्ली की अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)

अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। 1970 के मध्य में विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) शुरू की गई थी। एससीपी जिसे अब एससीएसपी कहा जाता है, बजट का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए

अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास में अंतर को पाटने के स्पष्ट उद्देश्यों के साथ प्रावधान किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति उप योजना की अवधारणा की शुरुआत भारत के तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार करने के समय की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य योजना के कुल आवंटन में से, कम से कम, राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी के प्रतिशत अनुपात में धन का प्रावधान करते हुए, अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए एससीएसपी के तहत, भौतिक एवं वित्तीय, दोनों संदर्भों में, पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करना था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों की ऐतिहासिक उपेक्षा को देखते हुए उनके विकास की जरूरतों और प्राथमिकताओं के कारण, उनकी जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में योजना परिव्यय के बड़े अनुपात की आवश्यकता होगी।

पहले के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली की अनुसूचित जाति की आबादी, यानी 16.75 प्रतिशत, के अनुपात में धनराशि मांग बुक में निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि यह धनराशि सीधे अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम में ली जाए।

विभाज्य श्रेणी को छोड़कर, जिसमें विशिष्ट योजनाओं के तहत परिव्यय और व्यय शामिल हैं, एससीएसपी के तहत निधियों के निर्धारण और लेखांकन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान पद्धति, अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति समुदाय को शेष योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत धन के प्रवाह और लाभ की धारणा पर आधारित है और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए लक्षित उपाय के रूप में इस पर विचार करना और व्याख्या करना मुश्किल है। इसके अलावा, विभाज्य श्रेणी के तहत विशिष्ट योजनाएँ शहर की आबादी के अन्य वर्गों की भी जरूरतें पूरा करती हैं और कुछ योजनाओं में, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के विशिष्ट डेटा प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

इस बीच, वित्तीय वर्ष 2017-18 और नीति आयोग द्वारा (16.11.2018 को की गई चर्चा के रिकॉर्ड के आधार पर) 20.11.2017 और 14.01.2019 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद से बजट निर्माण में योजना और गैर-योजना के अंतर को हटाने के मामले में और विकास हुआ है। इसका अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण 17.17 स्वीकृत परिव्यय और एससीएसपी घटक

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	एससीएसपी घटक	प्रतिशत
1.	2010-11	11400	1931.56	16.94
2.	2011-12	14200	2419.95	17.04
3.	2012-13	15000	2760.46	18.40
4.	2013-14	16000	3003.25	18.77
5.	2014-15	16700	2797.25	16.75
6.	2015-16	19000	3470.39	18.27
7.	2016-17	20600	3603.86	17.49
8.	2017-18*	18500	3773.84	20.39
9.	2018-19	22000	4232.31	19.24
10.	2019-20	27000	5181.77	19.19
11.	2020-21	29500	5447.08	18.46
12.	2021-22	37800	6495.14	17.18

*2017-18 से योजना और गैर-योजना का विलय कर दिया गया है।

स्रोत : अजा/अजजा/अपिवकल्याण विभाग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2007-2008 से 2023-2024 में लागू की गई योजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी विवरण 17.18 में दी गई है।

विवरण 17.18

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वार्षिक योजना	स्वीकृत परिव्यय	योजना व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
1.	2007-08	50.75	50.06	98.64
2.	2008-09	50.02	49.22	98.40
3.	2009-10	45.85	41.72	90.99
4.	2010-11	89.60	71.12	79.38
5.	2011-12	250.00	233.66	93.46
6.	2012-13	325.00	277.70	85.45
7.	2013-14	330.00	254.77	77.20
8.	2014-15	314.00	234.55	74.70
9.	2015-16	378.00	297.03	78.58
10.	2016-17	385.00	116.07	30.15
11.	2017-18	366.00	282.43	77.17
12.	2018-19	333.00	268.23	80.55
13.	2019-20	396.90	295.26	74.39
14.	2020-21	265.00	47.66	17.98
15.	2021-22	465.72	214.725	46.106
16.	2022-23	222.00	169.51	76.35
	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	246.00	37.18	15.11

11. अजा/अजजा/अपिव समुदायों के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रम

11.1 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध बच्चों/विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेशनरी खरीदने के वास्ते मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना चलाई जा रही है (पहले इसे स्टेशनरी की खरीद और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए वित्तीय सहायता योजना के नाम से जाना जाता था)।

उद्देश्य: योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लक्षित समूह को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सकें।

पात्रता: शिक्षा निदेशालय से संबद्ध सभी सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों/केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नेशनल ओपन स्कूल के विद्यार्थी और एन.डी.एम.सी./दिल्ली छावनी परिषद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध स्कूलों के 9वीं से 12 कक्षा तक के अजा/अजजा/अपिव के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

नई योजना का विवरण इस प्रकार है:

- क) आवेदक को रा.रा.क्षे. दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- ख) IX से X कक्षा के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और XI से XII कक्षा के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
- ग) वार्षिक पारिवारिक आय के लिए वार्षिक आय सीमा मानदंड – भारत सरकार की अधिसूचना के तहत ईडब्ल्यूएस आय सीमा के समान 8 लाख रुपये है। यदि विद्यार्थी ने पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आय सीमा लागू नहीं होगी।
- घ) आवेदक को एसडीएम/उपायुक्त (राजस्व), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा विद्यार्थी या उसके पिता के नाम पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपवि) अपलोड करना चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति के लाभार्थी के लिए दिल्ली का अधिवास प्रमाण पत्र रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होने पर ही स्वीकार किया जाएगा और बाहरी राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार्य होगा।
- ङ) किसी विशेष वर्ग के पुनरावर्तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- च) बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर होना चाहिए (माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता भी अनुमेय है), जो सक्रिय हो और विद्यार्थी के आधार नम्बर से जुड़ा हो।

छात्रवृत्ति राशि-

कक्षा IX से X – रुपये 5000/- प्रति वर्ष

कक्षा XI से XII – रुपये 10000/- प्रति वर्ष

विवरण 17.19

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की उपलब्धियां

क्र.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1	2021-22	18.17	24971
2	2022-23	11.23	15491
3	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1.56	3599

11.2 कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप

दिल्ली सरकार कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 12000/-रुपये वार्षिक से 24000/- रुपये वार्षिक और डे- स्कॉलर को 8000 रुपये से 15000 रुपये वार्षिक, पाठ्यक्रम के आधार पर मैरिट स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में परिवार की आय की सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक

आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना की उपलब्धियां विवरण 17.20 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.20

कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप स्कीम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (करोड रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2013-14	5.80	7163
2.	2014-15	6.78	13898
3.	2015-16	7.00	11086
4.	2016-17	2.93	3011
5.	2017-18	3.21	3658
6.	2018-19	1.54	1704
7.	2019-20	1.31	1564
8.	2020-21	0.58	596
9.	2021-22	1.31	1412
10.	2022-23	1.61	1563
11.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	0.74	815

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.3 पब्लिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की भरपाई

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य फीस अदा करती है, बशर्ते, परिवार की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। अधिकतम फीस भरपाई 48000 रुपये या वास्तविक फीस, जो भी कम हो, की जाती है। इस योजना की उपलब्धियों का ब्योरा विवरण 17.21 में दिया गया है:-

विवरण 17.21

पब्लिक स्कूलों में अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों को ट्यूशन फीस की भरपायी योजना की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित परिव्यय (करोड रुपये)	व्यय (करोड रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2012-13	9.50	9.50	6,816
2.	2013-14	18.30	18.00	15,442
3.	2014-15	34.00	31.80	26,777
4.	2015-16	37.00	33.19	21,090
5.	2016-17	42.00	5.18	1893
6.	2017-18	56.00	38.62	29435
7.	2018-19	43.00	39.88	25904
8.	2019-20	53.00	50.57	25414
9.	2020-21	48.00	14.58	5916
10.	2021-22	83.50	61.57	24716
11.	2022-23	79.38	75.00	28315
12.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	52.00	19.20	6860

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहयोग (ऑफलाइन मोड)

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की छात्रवृत्ति योजना कैबिनेट के निर्णय संख्या 2736 दिनांक 29.08.2019 के तहत अनुमोदित की गई थी।

उद्देश्य: इस योजना में अध्ययन के निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने हुए 100 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

क्र. सं.	अध्ययन क्षेत्र
1	इंजीनियरी और प्रबंधन
2	विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान
3	कृषि विज्ञान और चिकित्सा
4	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, लेखाविधि और वित्त
5	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान

न्यूनतम योग्यता:

- क) पीएचडी के लिए— संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड।
- ख) स्नातकोत्तर उपाधि के लिए— संबद्ध स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड।
- (i) आयु:

संबंधित वर्ष की कट-ऑफ तिथि के अनुसार 30 (तीस) वर्ष से कम
- (ii) आय सीमा:

सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय रुपये : 8,00,000/- (आठ लाख रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) **पात्रता मानदंड**
 - उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - “उम्मीदवार दिल्ली का अधिवासी होना चाहिए।” या “उम्मीदवार को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, जिसके पास दिल्ली में कम से कम पिछले पांच साल के निवास का कोई दस्तावेजी सबूत हो”
 - किसी भी माता-पिता/अभिभावक की केवल एक संतान को लाभ का पात्र समझा जाएगा और इसके लिए उम्मीदवारों से एक स्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी।
 - सेवारत उम्मीदवार को अपने आवेदन नियोजता द्वारा जारी किए गए “अनापत्ति प्रमाणपत्र” (एनओसी) के साथ उचित माध्यम से अग्रेषित करने होंगे।
 - उम्मीदवार इस योजना के तहत उसी स्तर (स्नातकोत्तर/पीएचडी) के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा, जिसके लिए उसने भारत या विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय से पहले ही योग्यता प्राप्त कर ली है।

(iv) वित्तीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति की अवधि

पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, परन्तु पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए अधिकतम रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्नातकोत्तर उपाधि के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष अथवा वास्तव में खर्च की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो, दी जाएगी। परन्तु, अधिकतम राशि रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) होगी।

निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान पूरा होने, अथवा निम्नांकित अवधि, इनमें जो भी पहले हो, उस तक दी जाएगी।

क) पीएच.डी-04 वर्ष (चार वर्ष)

ख) स्नातकोत्तर उपाधि-02 वर्ष (दो वर्ष)

- (i) वित्तीय सहायता विदेशी विश्वविद्यालय में उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि होने के बाद ही जारी की जाएगी, जो अपेक्षित दस्तावेज, जैसे आवेदन प्रपत्र/प्रवेश प्रस्ताव, वीजा, पासपोर्ट, आवेदक का बैंक ब्यौरा आदि अथवा विभाग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

उपरोक्त के अलावा, योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।

विवरण 17.22

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता" योजना का कार्य निष्पादन

क्र.स.	वर्ष	कुल आवेदन प्राप्त	व्यय (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1	2021-22	1	0	0
2.	2022-23	3	0.05	1
3.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1	0.05	2

उपरोक्त सभी योजनाओं को 31.10.2016 से आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभार्थी भुगतान (डीबीटी) प्रणाली में बदल दिया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के सभी आवेदन 2016-17 से दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं ("विदेश में उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता" योजना को छोड़कर)। सभी छात्रवृत्ति योजनाएं दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जन सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी पहल के तहत आती हैं। विभाग द्वारा आवेदकों के मार्गदर्शन/सहायता के लिए हेल्प डेस्क/कॉल सेंटर नम्बर 1031 भी प्रारंभ किया गया है।

11.5 अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं

11वीं कक्षा और उससे ऊपर अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध विद्यार्थियों को पढ़ने का उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, दिल्ली में छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। छात्रावास में सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए माता पिता की आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़कों के छात्रावास में 100 छात्रों और लड़कियों के छात्रावास में 60 छात्राओं की क्षमता है। 2022-23 में 159.37 लाख रुपये खर्च किये गये।

अजा/अपिव/अल्पसंख्यक श्रेणी के कमजोर वर्गों और अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय विभाग, भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (केआईएसएस) और दिल्ली सरकार के बीच हुए समझौते के तहत संयुक्त रूप से, ईसापुर गांव में अजा/अपिव/अल्पसंख्यक बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय का संचालन कर रहा है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

- केआईएसएस विद्यालय को प्रति विद्यार्थी 5000/-रुपये की दर से आवर्ती अनुदान।
- विद्यालय में सभी बुनियादी सुविधाएं।
- विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, वर्दी, लेखन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, आवास, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं।

विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, भोजनालय और शौचालय ब्लॉक पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन हैं और इनके शीघ्र पूरा होने की संभावना है। नए स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाने वाला अपनी तरह का अनोखा भवन होगा। 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए योजना का प्रदर्शन विवरण 17.23 में प्रस्तुत किया गया है

विवरण 17.23

अजा/अपिव/अल्पसंख्यक जैसे कमजोर वर्गों/अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय कार्यक्रम की उपलब्धियां

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)	विद्यार्थी दाखिल/कक्षा
2013-14	2.50	2.53	269/ कक्षा I-III
	6.63	6.33	
2014-15	5.00	1.87	353/ कक्षा I-IV
	2.00	0.58	
2015-16	4.0	2.25	369/ कक्षा I-V
	2.0	0.74	
2016-17	4.00	2.82	473/ कक्षा I-VI
	1.00	-	
2017-18	4.00	3.36	562/ कक्षा II-VII
	1.50	0.74	
2018-19	4.00	0.00	600/ कक्षा I-VIII
	5.00	0.60	
2019-20	7.70	7.65 (दिसम्बर तक)	682/ कक्षा I-IX
	5.00	3.56	
2020-21	4.50	00	708/ कक्षा I-IX
	3.50	2.80	
2021-22	5.00	3.08	789/ कक्षा I-IX
	6.00	3.85	
2022-23	7.43	6.87	836/ कक्षा I-IX
	3.00	0.41	
2023-24	6.00	0.00	805/ कक्षा I-IX
	3.00	0.00	

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.7 जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी)

विभाग ने मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 2526 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना वर्ष 2018-19 में आरंभ की। योजना के तहत विभाग यूपीएससी/एसएससी इत्यादि से संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराता है।

2021-22 के दौरान 15000 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश, न्यायिक सेवाएं, इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, रक्षा सेनाएं (सीडीएस/एनडीए), अन्य तकनीकी सेवाएं, एसएससी, डीएसएसएसबी, बैंक, रेलवे आदि का प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई। वर्तमान में 9208 विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत पहले ही दाखिला ले चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 13295 विद्यार्थियों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया। इनमें से, 3881 विद्यार्थियों ने इंजीनियरी/मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए दाखिला लिया और 1303 विद्यार्थियों ने संबद्ध परीक्षाओं (374 ने जेईई और 929 ने नीट परीक्षा) में अर्हता प्राप्त की। अन्य परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं सितम्बर-अक्टूबर 2022 में पूरी हो रही हैं और विद्यार्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने/उनमें बैठने की तैयारी कर रहे हैं।

12 आर्थिक उत्थान कार्यक्रम

12.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम (डी एस सी एफ डी सी) की स्थापना की गयी। अपिव/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का काम भी निगम को सौंपा गया। निगम को अब अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) घोषित किया गया है। डीएससीएफडीसी इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संबद्ध शीर्ष निगमों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह निगम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है।

12.2 विभाग अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'दिल्ली स्वरोजगार योजना' नाम का एक कार्यक्रम डीएससीएफडीसी के माध्यम से लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। पिछले 8 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की उपलब्धियां विवरण 17.24 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.24

क्र सं	वर्ष	शीर्ष	उपलब्धि	व्यय (लाख में)
1	2015-16	कंपोजिट ऋण स्कीम	46	45.55
2		शैक्षिक ऋण स्कीम	11	36.93
3		दिल्ली स्वरोजगार योजना	70	173.45
4		प्रशिक्षण	682	10.52
5	2016-17	कंपोजिट ऋण स्कीम	187	238.92
6		शैक्षिक ऋण स्कीम	14	18.69
7		दिल्ली स्वरोजगार योजना	43	165.02
8	2017-18	कंपोजिट ऋण स्कीम	208	451.81
9		शैक्षिक ऋण स्कीम	16	22.34
10		दिल्ली स्वरोजगार योजना	34	109.70
11	2018-19	कंपोजिट ऋण स्कीम	236	470.85
12		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	34.47
13		दिल्ली स्वरोजगार योजना	13	70.78
14	2019-20	कंपोजिट ऋण स्कीम	249	410.05
15		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	16.37
16		दिल्ली स्वरोजगार योजना	10	36.40
17	2020-21	कंपोजिट ऋण स्कीम	361	375.00
18		शैक्षिक ऋण स्कीम	7	23.48
19		दिल्ली स्वरोजगार योजना	4	13.50
20	2021-22	कंपोजिट ऋण स्कीम	217	299.61
21		शैक्षिक ऋण स्कीम	5	17.53
22		दिल्ली स्वरोजगार योजना	16	76.60
23		व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	872	171.08
24	2022-23	कंपोजिट ऋण स्कीम	135	171.08
25		शैक्षिक ऋण स्कीम	4	19.00
26		दिल्ली स्वरोजगार योजना	4	16.20
27		व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	823	300.38

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

13. अजा बस्तियों में सुधार

विभाग अजा बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए “अजा बस्ती सुधार” कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत उन अजा बस्तियों में खड़जा बिछाना, सड़क निर्माण, नालियां बनाना, चौपालों/सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि विकास कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें जनगणना रिकार्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक हो। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2474 दिनांक 24.05.2017 के तहत वृद्धाश्रम का निर्माण, पार्कों का विकास, व्यायामशाला, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन आदि की स्थापना जैसे कार्य शामिल करके विकास कार्यों का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत डीएससीएसटी द्वारा दिल्ली सरकार की अनुमोदित कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। विगत आठ वर्षों के अनुमानित कार्य एवं व्यय की जानकारी विवरण 17.25 के अन्तर्गत दी गई है।

विवरण 17.25

अजा बस्तियों में सुधार और चौपालों के निर्माण पर खर्च

वर्ष	चौपालों की संख्या	सड़कों की संख्या	अन्य	व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	12	09	-	37.63
2015-16	31	32	01	29.47
2016-17	29	36	-	25.16
2017-18	30	76	18	48.40
2018-19	24	178	37	49.57
2019-20	29	91	27	34.41
2020-21	3	26	1	0.50
2021-22	7	74	18	34.97
2022-23	19	60	38	48.90
2023-24	2	17	-	6.38

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

14 (क) हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट 2013)

डीएससीएसटी हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन के लिए भी नोडल विभाग है। हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति भी अधिसूचित की है। सीवर में उतरने के दौरान हुई मौतों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मृतक के निकट परिजन के लिए नीचे दी गई मुआवजा राशि जारी की गई है।

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्या	सरकार द्वारा जारी मुआवजा राशि	जारी की गई मुआवजा राशि का स्रोत
2017-18	5	12	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	मुख्यमंत्री राहत कोष
2018-19	2	07	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	02 मामलों में नियोक्ता; 05 मामलों में आपदा कोष
2019-20	5	10	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	05 मामलों में मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2020-21	4	7	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	01 मामले में (02 व्यक्तियों को) मुआवजा दिया गया और शेष 03 मामलों में मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2021-22	3	7	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	06 मामलों में वर्किंग एजेंसी द्वारा मुआवजा भुगतान किया गया और शेष 01 मामले (30.03.2022) में मृतक परिवार में विवाद के कारण मुआवजे का भुगतान लंबित है।

(ख) अत्याचार निवारण अधिनियम

अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग के रूप में भी काम करता है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान विभाग ने अधिनियम के तहत मुआवजा राशि जारी की है और अजा/अजजा दंपतियों के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.26

वर्ष	पीड़ितों की संख्या (अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत)	मुआवजा राशि (लाख रुपये में)
2015-16	21	6.64
2016-17	18	2.65
2017-18	22	35.07
2018-19	11	32.71
2019-20	26	29.81
2020-21	12	16.85
2021-22	21	32.65
2022-23	34	44.50

वर्ष	अंतर्जातीय विवाह करने वाले जुगलों की संख्या	प्रोत्साहन राशि (लाख रुपये में)
2015-16	3	1.50
2016-17	2	1.00
2017-18	3	1.50
2018-19	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	शून्य
2021-22	शून्य	शून्य

अध्याय एक नज़र में

- रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार अपने विभागों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जा सके।
- समाज कल्याण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने, वृद्धों और निराश्रित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है। इसके अलावा विभाग विकलांग व्यक्तियों को भी अवसर प्रदान करता है और अपने कल्याणकारी उपायों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है।

➤	आईसीडीएस योजना बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह एक ओर स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र जैसी समस्याओं के समाधान में योगदान करती है।
➤	दिल्ली सरकार मार्च, 2022 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12720 रुपये प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 6810 रुपये प्रति माह की दर से संशोधित मानदेय का भुगतान कर रही है।
➤	लाडली योजना के तहत, सितंबर, 2023 तक 12.72 लाख लड़कियों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 3,56,033 लड़कियों को पहले ही 665.39 करोड़ रुपये (2008-09 से 2023-24 (सितंबर 2023)) का अंतिम परिपक्वता मूल्य प्राप्त हो चुका है।
➤	महिला और बाल विकास विभाग ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 25 बाल संस्थानों की स्थापना की है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का सामना करने वाले किशोरों की भी जरूरतें पूरी की जा सकें।
➤	मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को पूरा करने का एक रोडमैप है। यह किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही “कोई बच्चा पीछे न छूटे” के आदर्श वाक्य के साथ बाल अधिकारों के समर्थन और जागरूकता पर जोर देता है।
➤	2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की महिला जनसंख्या 77.77 लाख है जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर, महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है।
➤	मिशन पोषण का उद्देश्य जीवन-चक्र की अवधारणा के माध्यम से सहक्रियाशील और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए कुपोषण को कम करना है। मिशन का लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है।
➤	एसएसके प्लेटफॉर्म महिलाओं की सामूहिक शक्ति को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने और अपने साथियों के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली बनाने में मदद करता है। यह महिलाओं को एक साथ आने, मुद्दों पर चर्चा करने, रुचि जगाने और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके सर्वोत्तम संभव स्थानीय समाधान खोजने में सक्षम बनाता है।
➤	दिल्ली सरकार विभिन्न उपायों और कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की पूरी मदद कर रही है ताकि वे पूरी भागीदारी के साथ रह सकें और समाज के हर पहलू में उनकी समान भागीदारी हो।
➤	कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर गरीब परिवारों को एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में लाभ की राशि 20,000/- रुपये है, भले ही मृत्यु का कारण प्राकृतिक या आकस्मिक, कोई भी हो।
➤	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्तीय और विकास निगम (डीएससीएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए ‘दिल्ली स्वरोजगार योजना’ कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, दिल्ली में उद्यम शुरू करने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।